

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2017/TG-I/20/P/FT Quota Pt.

New Delhi, Dated: 19.03.2019

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

Managing Director, IRCTC, 11th floor, B-148,
Statesman House, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

(Commercial Circular No. 18 of 2019)

Sub: Online booking of reserved tickets by foreign tourists.

Ref: (i) Letter no. 2017/TG-I/20/P/FT Quota Pt. (Addendum to CC No. 54 of 2017 dated 24.04.2018).
(ii) Letter no. 2016/Tourism/120/1 dated 19.09.2017.

Instructions were issued vide addendum to CC No. 54 of 2017 dated 24.04.2018 circulating a scheme for online booking of reserved ticket by foreign tourists.

In the scheme, provision was made for registering demand of foreign tourists for booking of reserved accommodation upto 365 days in advance only in 1st AC, 2AC & Executive Classes.

2. The matter has been reviewed. Competent Authority have now decided as under:

- (i) Existing scheme of online booking of reserved accommodation by foreign tourists upto 365 days in advance shall be allowed in the existing format advised vide addendum of CC No. 54 of 2017 dated 24.04.2018.
- (ii) In addition to 1A, 2A & EC classes, the facility of online registration of demand by foreign tourist upto 365 days in advance shall also be provided in Sleeper, 3A, AC Chair Car and 2S classes subject to the following limitations:

Class	No. of berths/seats
Sleeper	04 berths per coach
3AC	04 berths per coach
CC	06 seats per coach
2S	05 seats per train

- (iii) Keeping in view discontinuation of facility of Ind Rail Passes (IRP) and the scheme of General Sales Agents (GSAs), no request for booking of reserved tickets from foreign tourist quota or otherwise against IRP shall be accepted.

(iv) Zonal Railways can earmark Foreign Tourist Quota in different classes, for booking by Foreign Tourists within ARP, based on demand pattern. The quota so earmarked shall be reviewed periodically based on utilisation and adjustments made, wherever required.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways

6. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.



(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2017/TG-I/20/P/FT Quota Pt.

New Delhi, Dated: 19.03.2019

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B-148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-1.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/ Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-1/20/पी/एफटी कोटा पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

प्रबंध निदेशक,
क्रिस,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

प्रबंध निदेशक,
आईआरसीटीसी,
11वां तल, बी-148, स्टेटसमैन हाऊस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.18)

विषय: विदेशी पर्यटकों द्वारा आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग।

संदर्भ: (i) पत्र सं.2017/टीजी-1/20/पी/एफटी कोटा पार्ट (2017 के दिनांक 24.04.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.54 का परिशिष्ट).

(ii) पत्र सं.2016/पर्यटन/120/1 दिनांक 19.09.2017.

2017 के दिनांक 24.04.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.54 के परिशिष्ट के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें विदेशी पर्यटकों द्वारा आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग संबंधी योजना परिपत्रित की गई थी।

इस योजना में, विदेशी पर्यटकों की केवल प्रथम एसी, द्वितीय एसी और एकज़ीक्यूटिव श्रेणियों में 365 दिन पहले आरक्षित एकोमोडेशन की बुकिंग हेतु मांग दर्ज करने के लिए प्रावधान किया गया था।

2. इस मामले की समीक्षा की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने अब निम्नानुसार यह विनिश्चय किया है कि:

- (i) विदेशी पर्यटकों द्वारा 365 दिन पहले आरक्षित एकोमोडेशन की ऑनलाइन बुकिंग की मांग की मौजूदा योजना की अनुमति 2017 के दिनांक 24.04.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.54 के परिशिष्ट के तहत दिए गए मौजूदा फार्मेट में ही होगी।
- (ii) प्रथम एसी, द्वितीय एसी और ईसी श्रेणियों के अलावा, विदेशी पर्यटकों द्वारा 365 दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरण मांग की सुविधा निम्नलिखित सीमितताओं के अध्यक्षीन स्लीपर, 3एसी, एसी चेयर कार और 2एस श्रेणियों में भी दी जाएगी:

श्रेणी	बर्थों/सीटों की सं.
स्लीपर	04 बर्थ प्रति कोच
3एसी	04 बर्थ प्रति कोच
सीसी	06 सीट प्रति कोच
2एस	05 सीट प्रति गाड़ी

(iii) इंड रेल पास (आईआरपी) और जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) योजना सुविधा समाप्त किए जाने को ध्यान में रखते हुए, आईआरपी के तहत विदेशी पर्यटक कोटा या इससे इतर आरक्षित टिकटों की बुकिंग संबंधी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) क्षेत्रीय रेलें मांग स्वरूप के आधार पर अग्रिम आरक्षण अवधि में विदेशी पर्यटक द्वारा विभिन्न श्रेणियों में बुकिंग के लिए विदेशी पर्यटक कोटा निर्धारित कर सकती हैं। इस प्रकार निर्धारित किए गए कोटे की उपयोगिता के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और जहां-कहीं भी आवश्यकता होगी, इसमें समायोजन किए जाएंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।



(शैली श्रीवास्तव)

निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड

सं.2017/टीजी-1/20/पी/एफटी कोटा पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 19.03.2019

प्रतिलिपि अग्रेषित:

- 1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) निदेशक (लेखा), सभी क्षेत्रीय रेलें।



कृत वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) ईडीवी (टी), ईडीएफ (सी), डीएफ (सी), ओएसडी/टी.सी., एफ (सी) एवं सतर्कता (एस.एस.) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
- 3) प्रबंध निदेशक/आई.आर.सी.टी.सी., 11वां तल, स्टेटसमैन हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71